



पीठासीन अधिकारी :- श्री दिनेश कुमार गढवाल, आरजेएस
सरकार —बनाम— प्रभू उर्फ परबु
किस्म मुकदमा सेशन प्रकरण संख्या 35/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
<u>21.08.2023</u>	विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री आजाद शाह उपस्थित। वकील मुलजिम गैर हाजिर। मुलजिम प्रभू उर्फ परबु को दिनांक 31.05.2023 को मफरूर घोषित किया जा चुका है। मुलजिम मफरूर है और प्रकरण में गवाह पी.ड.1 डॉ.मोहम्मद इरफान, पी.ड.2 हरिनारायण, पी.ड.3 श्रीमति शांता, पी.ड.4 भरत, पी.ड.5 गौतम, पी.ड.6 दलजी के बयान लेखबद्ध किया जा चुके हैं। इस प्रकार प्रकरण में महत्वपूर्ण गवाहान की साक्ष्य लेखबद्ध की जा चुकी है। मुलजिम मफरूर है, अतः पत्रावली जरिये मफरूरी में फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। मुलजिम के उपस्थित आने पर प्रकरण पुनः उसी नंबर पर दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली के मुख्य पृष्ठ पर लाल स्याही से इस आशय का नोट अंकित हो कि पत्रावली का कोई भाग नष्ट नहीं किया जावे। मुलजिम के स्थाई गिरफ्तारी वारंट की प्रगति रिपोर्ट संबंधित थाने से तलब की जावे, जिसकी एक प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, डूंगरपुर को प्रेषित हो। --sd-- अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सागवाडा	

